

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर, वन प्रभाग, हमीरपुर।

पत्रांक- 2137 / 33-1/ दिनांक, हमीरपुर, मार्च 03, 2023,

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
विश्व बैंक खण्ड, लो0 नि0 वि0,
कानपुर।

विषय:- विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क विकास परियोजना के तहत हमीरपुर-राठ-गरौठा-गुरसराय-झांसी राज्य राजमार्ग-42 के राठ बाईपास (हमीरपुर जनपद) से गरौठा (झांसी जनपद) (मिसिंग लिंक-किमी 74.550 से किमी 110.360) के विकास/रोड निर्माण कार्य हेतु अनुमति प्राप्त करने के सम्बन्ध में। प्रस्ताव संख्या-FP/UP/Road/117342/2020.

सन्दर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक-11/1092/आर0ई0सी0/2014/यू0पी0/491/दिनांक 27.02.2023 एवं पत्रांक-8बी/यू0पी0/06/15/2023/एफ0सी0/928 दिनांक 27.02.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से विषयक प्रस्ताव में दिनांक 20.02.2023 को आर0ई0सी0 की बैठक में लिये गये निर्णय के आधार पर प्रस्ताव में पायी गयी कमियों का निराकरण करने की अपेक्षा की गयी है। भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों के सन्दर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न करते हुये आपसे अपेक्षा की जाती है कि लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण करते हुये मय अभिलेख 5 प्रतियों में इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ताकि अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(उमेश चन्द राय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।

ई-मेल द्वारा

पृष्ठांकन संख्या...../अ/समदिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वन संरक्षक, चित्रकूटधाम वृत्त, उ0प्र0 बौदा।
3. अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड लो0नि0वि0 कानपुर।
4. जिलाधिकारी, हमीरपुर।
5. क्षेत्रीय वन अधिकारी, राठ।

(उमेश चन्द राय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
हमीरपुर वन प्रभाग, हमीरपुर।



पत्र सं० 8बी/यूपी०/०८/१५/२०२३/एफ०सी०/१२०

दिनांक : 27.02.2023

सेवा में,

अति० मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

Online Proposal No. FP/UP/Road/117342/2020

विषय: विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क विकास परियोजना के तहत हमीरपुर-राठ गरीब गुरसराय-झांसी राज्य राजमार्ग-42 के राठ बाईपास (हमीरपुर जनपद) से गरीब (झांसी जनपद) (मिसिंग) लिंक किमी० 74.550 से किमी० 110.360 तक के उच्चीकरण निर्माण कार्य हेतु जनपद हमीरपुर में प्रभावित 4.068 हे० आरक्षित एवं 1.0684 हे० संरक्षित वनभूमि कुल 5.1364 हे वनभूमि के गैरव्यवहार प्रयोग एवं बाधक 327 वृक्षों/पौधों के पालन एवं जनपद झांसी में प्रभावित 13.049 हे० आरक्षित वनभूमि के गैरव्यवहार प्रयोग एवं बाधक 2127 वृक्षों/पौधों के पालन अर्थात् कुल 18.1854 हे० वनभूमि के गैरव्यवहार प्रयोग एवं बाधक 2554 वृक्षों/पौधों के पालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: सचिव(वन), उ०प्र० शासन के पत्रांक पी-17/81-2-2022-800(12)/2023, दिनांक 27.01.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयवस्तु प्रस्ताव पर वन(संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा(2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण में दिनांक 20.02.2023 को आहूत की गई क्षेत्रीय सशक्त समिति, खण्ड की बैठक में, वन संधि के पत्रांक 2003, खण्ड शामिल किया गया था। क्षेत्रीय सशक्त समिति के निर्णयानुसार मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचनाएं/जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में आगे की कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके-

1. As per the DSS and SOI toposheet, the demarcation of forest area proposed for diversion is undervalued. Some parts of the Reserve Forest area in the kml file are demarcated as Non-forest. This needs rectification/clarification.
2. As per the DSS and SOI toposheet, the proposed NFL CA land polygon falls under the Kuchhechha R.F and Durkhuru R.F area. This needs rectification/clarification.
3. As per part-ii of the proposal, total no. of trees proposed for felling is 2454 trees but in State Govt. forwarding letter, it is mentioned as 2554 trees. This needs rectification/clarification.
4. NOC from irrigation dept. needs to be submitted since the proposed diverted route is crossing the river.
5. It is not clear from the proposal that what is the status of widening before and what is after proposed alignment.
6. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.
7. Details of existing ROW proposed ROW and land width (ROW) availability for road side plantation needs to be submitted and accordingly plantation scheme for roadside plantation needs to be submitted.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक(के)

प्रतिलिपि (ईमेल द्वारा) :-

1. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ।
2. वन संरक्षक चित्रकूटधाम वृत्त बांदा।
3. प्रभागीय वनाधिकारी हमीरपुर एवं झांसी।
4. अधीक्षण अभियन्ता विश्व बैंक खण्ड लोक निर्माण विभाग कानपुर।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु आदेश पत्रावली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक(के)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक-2833 /11-सी-FP/UP/Road/117342/2020, लखनऊ, दिनांक: मार्च 02, 2023

प्रतिलिपि- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, झांसी एवं चित्रकूटधाम वृत्त, बांदा को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को तीन प्रतियों में प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, हमीरपुर एवं झांसी को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार वांछित सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित इस कार्यालय को वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधीक्षण अभियन्ता, विश्व बैंक खण्ड, लो०नि०वि०, कानपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।